

**कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 334 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2017-18/दिनांक 21-06-17

**विज्ञापित/नियुक्ति**

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5600/उप्राशिप एल0टी0भर्ती 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/348/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2017-18/दिनांक 01.05.2017 द्वारा 10 प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) में सहायक अध्यापक एल.टी. (गणित) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीविक्षाधीन रहेगी।

**विषय:-गणित (शाखा-सामान्य)**

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम / पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उप श्रेणी	कार्यरत विद्यालय का नाम	पदस्थापित विद्यालय
1	श्री चण्डी प्रसाद देवराडी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम व पो0ओ0- तुंगेश्वर म0न0-25, वाया- तलवाडी, जिला- चमोली, पिन कोड- 246482	22.07.1980	चमोली	सामान्य	-	रा0आ0प्रा0वि0 थराली चमोली	रा.उ.मा.वि. क्वीली कुरझण (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग
2	श्रीमती सुमिता बिष्ट पत्नी श्री सुनील कुमार बिष्ट, जगदम्बा हार्डवियर, न्यू लिंक रोड, मुख्य डाकघर पिथौरागढ़, जिला- पिथौरागढ़ पिन कोड- 262501	05.09.1983	पिथौरागढ़	सामान्य	महिला	रा0प्रा0वि0 सेविला पिथौरागढ़	रा.उ.मा.वि. जखेड (कीर्तिनगर) टिहरी गढ़वाल
3	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम व पो0ओ0- सिल्यारा, पट्टी केमर(केमरा) जिला- टिहरी गढ़वाल, पिन कोड- 249155	07.09.1980	टिहरी	अनु.जा.	-	रा0प्रा0वि0 लस्यालगांव टिहरी गढ़वाल	रा.उ.मा.वि. लस्यालगांव (भिलंगना) टिहरी गढ़वाल

(महावीर सिंह बिष्ट)

प्रभारी मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं./सेवा.अराज./ 5381-98 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2017-18/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
7. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
10. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0/बे0)।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

13. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपशिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को इस आशय से कि कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का विवरण फोटो सहित ई-पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

14. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा अभिलेखों एवं समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्रों का भली-भाँति परीक्षण कर लें / दिव्यांग अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य अभ्यर्थी केवल वाई क्षेत्र के विद्यालय में नियुक्त हो यह तथ्य जाँचकर ही तत्पश्चात कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा परिवर्तन की दशा में तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायें।

15. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र मूल में अवलोकित कराने के उपरान्त अभिलेखों की छायाप्रति सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही गतिमान नहीं है और न ही उनके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है।

16. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

प्रभारी मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....  
.....सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

ह0

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 एवं सील संस्थाध्यक्ष